

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

लोकसेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.6	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	20 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.
12.7	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोपचार्य संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.	15 कार्य दिवस	संचालक, अस्पताल प्रशासन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.8	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोपचार्य संबंधी स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन का नवीनीकरण.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.	15 कार्य दिवस	संचालक, अस्पताल प्रशासन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.